भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5895

(जिसका उत्तर 30 मार्च, 2026/09 चैत्र 1948 (शक) को दिया जाना है)

जाली मुद्रा

5895. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितने मूल्य की जाली मुद्रा का पता चला है;

(ख) इस प्रणाली को सुदृढ़ करने और जाली मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए क्या तंत्र मौजूद है; और

(ग) क्या बैंकों के पास विशेष रूप से ग्रामीण शाखाओं में मुद्रा सत्यापन मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान बैंकिंग प्रणाली में पता लगाए गए/सूचित किए गए जाली मुद्रा का विवरण निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
मूल्य (₹)	5,44,93,625	8,25,75,565	7,93,86,135	10,80,67,495	7,81,23,315

नोट: उपरोक्त डेटा में पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जब्त किए गए जाली करेंसी नोटों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
मूल्य (₹)	34,70,70,186	17,99,37,446	20,39,27,660	3,82,53,70,610	16,76,22,500

(ख) जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) के परिचालन को रोकने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

<u>भारत सरकार</u>:

i. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय X की धारा 178 से 188 के तहत जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) से संबंधित अपराध आते हैं, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। साथ ही, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों के उत्पादन अथवा तस्करी अथवा परिचालन को आतंकवादी कृत्य बना दिया गया है।

ii. देश में जाली मुद्राओं के परिचालन को रोकने के लिए राज्यों/केन्द्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए जाली भारतीय मुद्रा नोट समन्वय केन्द्र मौजूद है।

iii. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भारत में उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा नोट के मामलों की जांच के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके अलावा, एनआईए ने जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

iv. आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली मुद्रा के मामलों की संकेन्द्रित जांच करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) में एक आतंकवाद वित्तपोषण और जाली मुद्रा (टीएफएफसी) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक:

i. बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताओं /नए डिजाइनों को शामिल करना:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान सभी मूल्यवर्ग में नई सुरक्षा विशेषताओं के साथ महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 बैंक नोट जारी किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2015 में, एक नया एक्सप्लोडिंग नंबरिंग पैटर्न पेश किया गया था।

(ख) इसके अलावा, 8 नवंबर, 2016 तक जारी किए गए 500 और 1000 रुपये के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध निविदा प्रकृति को वापस लेने पर, आरबीआई ने नया डिजाइन पेश किया और महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹2000, ₹500, ₹200, ₹100, ₹50, ₹20, और ₹10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी किए। इसका विवरण भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर आम जनता के लिए प्रदर्शित है।

ii. बैंकों को निर्देश:

(क) आरबीआई ने 01 अप्रैल, 2025 को जाली नोटों का पता लगाने, रिपोर्टिंग और निगरानी पर एक मास्टर निर्देश जारी किया है, जो नकली नोटों का पता लगाने पर अपनाई जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रिया के व्यापक प्रसार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं कि 100 रुपए और उससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को उनके काउंटरों पर अथवा एटीएम के माध्यम से केवल तभी जारी किया जाना चाहिए जब इन बैंक नोटों की प्रामाणिकता/वास्तविकता और उपयुक्तता के लिए मशीनों द्वारा विधिवत जांच की गई हो। बैंकों को अपने नकदी प्रबंधन को इस तरह से पुनः संरेखित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 100 रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग की नकद प्राप्तियों की प्रामाणिकता के लिए नोटों को मशीन से संसाधित किए बिना पुन: प्रचलन में नहीं लाया जा सके। एटीएम के माध्यम से जाली नोटों की प्राप्ति के संबंध में शिकायतों को दूर करने और जाली नोटों के परिचालन को रोकने के लिए बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे एटीएम में नोटों के लदान करने से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय/जांच करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि एटीएम के माध्यम से जाली नोटों के वितरण को संबंधित बैंक द्वारा जाली नोटों को परिचालित करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा।

iii. जागरूकता अभियान:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के लिए जाली नोटों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आरबीआई की वेबसाइट बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के बारे में जनता को जानकारी प्रदान करती है। बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे बैंक शाखाओं में अपने बैंक नोटों को जानो पोस्टर पर प्रदर्शित करें।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हैं जहां जनता को भारतीय बैंक नोटों की विशेषताओं और वास्तविक भारतीय बैंक नोटों की पहचान करने के तरीकों से अवगत कराया जाता है। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों में पोस्टर, पर्चे आदि भी वितरित किए जाते हैं।

iv. बैंकिंग प्रणाली में जाली नोटों का पता लगाने/रिपोर्टिंग में सुधार के लिए, एफएनवी प्रकोष्ठों द्वारा नकली नोटों के डेटा की एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग और चुनिंदा बैंकों के एफएनवी प्रकोष्ठों का निरीक्षण जनवरी 2024 में शुरू किया गया है।

(ग): भारतीय रिज़र्व बैंक का नकली नोटों पर मास्टर निर्देश, 2025 - डिटेक्शन, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग दिनांक 01 अप्रैल, 2025, सभी बैंक शाखाओं को नकली नोटों का पता लगाने की सुविधा के लिए नोट छँटाई /प्रमाणीकरण मशीनों से सुसज्जित करने का आदेश देता है।
